मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण/अपर जिला जज, कोर्ट नं0-11, हरदोई।

मोटर दुर्घटना दावा याचिका संख्या-01 सन् 2017

सी.एन.आर. नं0-यू.पी.ण्च.आर.010060602017

श्रीमती सूरजा आदि बनाम नीलेश कुमार आदि

दिनांकः13.07.2019

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक-अदालत में पेश हुई।

याचीगण मय विद्वान अधिवक्ता तथा विपक्षी संख्या-2 के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आए।

यह याचिका याचीगण श्रीमती सूरजा, सरजू, कु0 पुष्पा उम्र 14 वर्ष अवयस्क व श्याम सिंह उम्र 12 वर्ष अवयस्क द्वारा विपक्षीगण नीलेश कुमार, नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड (ट्रक संख्या यू.पी.30 टी/3143), मीनू व सन्तराम के विरूद्ध क्षतिपूर्ति दिलाए जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

याचीगण श्रीमती सूरजा, सरजू, पुष्पा, श्याम सिंह व मीनू तथा विपक्षी संख्या-2 नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड की ओर से संधिपत्र कागज संख्या 21ख प्रस्तुत किया गया है, जो न्यायालय द्वारा सत्यापित किया गया। संधिपत्र में विपक्षी संख्या-2 नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड द्वारा याचीगण को मु0 1,70,000/-रूपये (रूपया एक लाख सत्तर हजार मात्र) अदा करने का कथन किया गया है। पक्षकारों द्वारा वाद का निस्तारण संधिपत्र के अनुसार किए जाने की याचना की गयी है।

याचिका का निस्तारण संधिपत्र कागज संख्या 21ख के अनुसार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः याचीगण की याचिका उपरोक्तानुसार स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

याचीगण की याचिका सुलहनामा 21ख के अनुसार मु0 1,70,000/-रूपये (रूपया एक लाख सत्तर हजार मात्र) प्रतिकर हेतु स्वीकार की जाती है। सुलहनामा कागज संख्या 21ख एवार्ड का अंश रहेगा।

विपक्षी संख्या-2 को निर्देशित किया जाता है कि वह क्षतिपूर्ति की धनराशि मु0 1,70,000/-रूपये (रूपया एक लाख सत्तर मात्र) एक माह के अन्दर चेक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से न्यायालय में जमा करे।

वर्तमान याचिका याचीगण द्वारा, याचीगण संख्या-1 व 2 के पुत्र शिवाकान्त की दुर्घटना में मृत्यु होने के फलस्वरूप प्रस्तुत की गयी है। याचिका में किसी भी याची को मृतक पर आश्रित दर्शित नहीं किया गया है। मृतक विद्यार्थी था। याची संख्या-3 कु0 पुष्पा व याची संख्या-4 श्याम सिंह तथा मीनू मृतक के अवयस्क भाई बहन हैं, जो अपने माता- पिता पर आश्रित हैं। ऐसी स्थिति में याचीगण संख्या-1 व 2 ही सम्पूर्ण प्रतिकर धनराशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

क्षतिपूर्ति की कुल धनराशि मु0 1,70,000/-रूपये (रूपया एक लाख सत्तर हजार मात्र) में से याचीगण संख्या-1 व 2 समान रूप से मु0 85,000-85,000/-रूपये (रूपया पच्चासी-पच्चासी हजार मात्र) प्राप्त करेंगे।

याची संख्या-1 श्रीमती सूरजा को मिलनेवाली प्रतिकर धनराशि मु0 85000/-

रूपये (रूपया पच्चासी हजार मात्र) में से धनराशि मु0 50,000/–रूपये (रूपया पच्चास हजार मात्र) उसके नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा योजना के अन्तर्गत एक वर्ष की अवधि के लिए निवेशित की जाएगी तथा शेष धनराशि मु0 35,000/–रूपये (रूपया पैंतीस हजार मात्र) नकद प्राप्त करेगी।

इसी प्रकार याची संख्या–2 सरजू को मिलनेवाली प्रतिकर धनराशि मु0 85000/–रूपये (रूपया पच्चासी हजार मात्र) में से धनराशि मु0 50,000/–रूपये (रूपया पच्चास हजार मात्र) उसके नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा योजना के अन्तर्गत एक वर्ष की अवधि के लिए निवेशित की जाएगी तथा शेष धनराशि मु0 35,000/–रूपये (रूपया पैंतीस हजार मात्र) नकद प्राप्त करेगा।

तदनुसार एवार्ड बनाया जाए।

(दीपा राय)
एम.ए.सी.टी./अपर जिला जज,
कोर्ट नं0–11, हरदोई।